(20)

न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2017 निगरानी PBR/निगरानी/नीमच/भू.रा/2018/0009

खुशालसिंह पिता स्व. जसवन्तरामजी वाधवा

निवासी– ग्राम रामपुरा, तहसील रामपुरा जिला नीमच

.......आवेदक

---विरूद्ध--

1–धनश्याम उर्फ श्याम पिता गोपालकृष्णजी वाधवा,

निवासी --मनासा जिला नीमच म.प्र.

2– मध्यप्रदेश शासन द्वारा मोजा पटवारी

.........अनावेदक

अर्पित वर्मा अभिभाषक
9098611901

<u>पुनर्निरिक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता</u>

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन के प्रकरण 648/अपील/16–17 में पारित आदेश दिनांक 14/11/17 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणो के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन–पत्र अंदर अवधि प्रस्तुत करता है :–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u>

01.' यह कि, आवेदक के स्वत्व एवम् स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रं. 103 रकबा 2.02 हे. ग्राम मौलखी बुजुर्ग, प.ह.न. 42 तहसील मनासा में स्थित है । उक्त भूमि अपीलार्थी को उसके पिता जसवन्तराम से प्राप्त हुई है । जसवन्तरामजी के द्वारा अपने जीवनकाल में आवेदक से प्रसन्न होकर तथा जीवनकाल में उनके द्वारा की गई सेवा के आधार पर आवेदक के पक्ष में एक वसीयत नामा दिनांक 14/11/1997 के द्वारा वादग्रस्त भूमि तथा अन्य सम्पत्तियों को जिनमें भवन, नगदी आदि सम्मिलित है को आवेदक को प्रदान की गई थी जिसके आधार पर दिनांक 06/01/2004 को श्री जसवन्तरामजी की मृत्यु उपरान्त वसीयत के आधार पर आवेदक वादग्रस्त सम्पत्ति तथा अन्य सम्पत्तियों का एक मात्र स्वामी एवम् आधिपत्यधारी हुआ ।

02. यह कि, उक्त वसीयत के आधार पर आवेदक के स्वामी एवम् आधिपत्यधारी होने के आधार पर तथा ग्राम पंचायत देवरन के द्वारा पारित ठहराव प्रस्ताव अनुसार आवेदक का नाम बहैसियत स्वामी एवम् आधिपत्यधारी के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने बाबत् कार्यवाही होने से उक्त कार्यवाही तथा ठहराव प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 14/07/2004 से आवेदक का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ तथा तभी से तथा आवेदक के पिता जसवन्तरामजी के जीवित

(3)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/नीमच/भू.रा./2018/0009

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 648/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 14.11.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा कलेक्टर जिला नीमच को इस आशय का जनसुनवाई में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि अनावेदक के दादा जसवंत पिता पोखरदास बधवा निवासी रामपुरा के मालिकी व आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा-मोलखी बुजुर्ग, प.ह.नं. 42 तह. मनसा में सर्वे नं. 103 रकवा 2.02 हे. स्थित रही है। अनावेदक के पिता का सवर्गवास हो जाने से वर्णित कृषि भूमि का एक मात्र वारिस प्रत्यर्थी ही रहा है। अनावेदक के दादा की मृत्यु वर्ष 2004 में हो चुकी है। उनकी मृतयु उपरांत राजस्व अधिकारियों से सांठ-गांठ एवं षड़यंत्र कर अनावेदक के चाचा आवेदक द्वारा अनावेदक को बताए बिना अपना नामांतरण ग्राम पंचायत देवरान के ठहराव प्रस्ताव क्र. 19 दिनांक 14.07.2004 को गुपचुप तरीके से करा लिया है। जिसकी जानकारी अनावेदक को आसपास के पड़ोसी कृषकों के द्वारा दिए जाने पर विदित हुई और अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की है। अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक की अपील को आदेश दिनांक 25.02.2015 से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत देवरान के आदेश दिनांक समक्ष ग्राम पंचायत बिजवाड़ द्वारा पारित ठहराव प्रस्ताव दिनांक 14.07.2004 को निरस्त किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि में आवेदक व अनावेदक को सहकृषक के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील पेश की	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	गई जो उनके आदेश दिनांक 14.11.2017 द्वारा निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित रूप से यह तर्क दिए गए हैं जसवन्तरामजी के द्वारा अपने जीवनकाल में आवेदक की सेवा तथा प्रेम से प्रसन्न होकर आवेदक के पक्ष में एक वसीयतनामा दिनांक 14.11.1997 के द्वारा वादग्रस्त भूमि तथा अन्य संपत्तियों को जिनमें भवन, नकदी आदि सम्मिलित है को आवेदक को प्रदान की गई थी, जिसके आधार पर दिनांक 06.01.2004 को श्री जसवन्तरामजी की मृत्यु उपरांत वसीयत के आधार पर आवेदक वादग्रस्त संपत्ति तथा अन्य संपत्तियों का एक मात्र स्वामी एवं आधिपत्यधारी हुआ। उनके द्वारा यह भी तर्क दिए गए हैं कि उक्त वसीयत के आधार पर ग्राम पंचायत देवरन के द्वारा पारित ठहराव प्रस्ताव अनुसार आवेदक उक्त भूमि का एकल स्वामी एवं आधिपत्यधारी होने से उसका नाम बहैसियत स्वामी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने बावत आदेश दिनांक 14.07.2004 को पारित हुआ तथा आवेदक का नाम स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज हुआ। तथा आवेदक जसवन्तरामजी के जीवित रहते तथा मृत्यु उपरांत स्वामी के रूप में काबिज रहा है तथा वर्तमान में भी काबिज है। आवेदक के नामांतरण तथा वसीयत पर आज दिनांक तक कभी भी कोई आपत्ति किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं की गई है जिसके कारण उक्त आदेश अंतिम आदेश होकर सभी पर बंधनकारी है तथा जिसके आधार पर आवेदक ही उक्त भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी होकर स्वामी के रूप में काबिज रहा है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय द्वारा सन् 2004 में पारित आदेश जो कि अंतिम हो चुका था उस ओर ध्यान दिए बगैर सन् 2014 में प्रस्तुत आवेदन-पत्र को आधार मानते हुए पूर्व के आदेश के विरुद्ध विवादित आदेश पारित कर दिया गया, जबकि उक्त आवेदन लगभग 10 वर्षों के पश्चात प्रस्तुत किया गया था तथा उक्त आवेदन-पत्र के साथ किसी भी प्रकार का अवधि को क्षमा किए जाने हेतु पृथक से कोई	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/नीमच/भू.रा./2018/0009

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदन-पत्र भी नहीं प्रस्तुत किया गया। परंतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर अवधि वाह्य आवेदन-पत्र को सुनवाई में लेकर विधि विरुद्ध आदेश पारित किया गया जो किसी भी दशा में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। 4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है। 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अनावेदक द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 14.07.2004 को वर्ष 2014 में लगभग 10 वर्ष उपरांत जनसुनवाई में चुनौती दी गई है। अपील में हुए इस 10 वर्ष के विलंब को अनुविभागीय अधिकारी ने अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है। अवधि विधान की धारा-5 के अनुसार प्रकरण में हुए विलंब का दिन-प्रितदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना अनिवार्य होता है, परंतु उनके द्वारा विलंब क्षमा हेतु कोई उचित कारण नहीं दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अवैधानिक है। एवं प्रकरण को देखने से यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदक जसवंतरामजी की मृत्यु के पूर्व से ही प्रश्नाधीन भूमि पर बतौर भूमिस्वामी काबिज काश्त रहे हैं एवं वर्तमान में भी काबिज हैं। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा केवल इस आधार पर धारा-5 का आवेदन स्वीकार किया गया है कि अनावेदक मृतक खातेदार के मृतक पुत्र का पुत्र है, जबकि आवेदक द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिससे यह सिद्ध होता हो कि वह जसवंतरामजी के मृतक पुत्र का पुत्र है। तथा उनके द्वारा 10 वर्ष के बिलंब के संबंध में भी कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अभिलेख को देखने	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन भूमि जसवंतरामजी की स्वअर्जित संपत्ति है, जिसकी वसीयत उन्होंने आवेदक के पक्ष में की है। उक्त तथ्यों पर विचार किए बिना अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है। ऐसे अवैधानिक आदेश को स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा गंभीर भूल की गई है। प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश अवैधानिक हैं जिन्हें स्थिर नहीं रखा जा सकता। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2017 तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2015 निरस्त किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	